बिहार सरकार
परिवहन विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांकः–

संख्या–05 / स्था0–01–08 / 2021 /सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना सं0–17293, दिनांक–20.09.2026 के द्वारा श्री बिजय कुमार, बि0प्र0से0 कोटि क्रमांक–103 / 26 को संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पटना प्रमंडल, पटना के पद पर पदस्थापित किया गया है।

2. उपर्युक्त के आलोक में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 213(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री बिजय कुमार, बि0प्र0से0 कोटि क्रमांक–103 / 26 को प्रभार ग्रहण की तिथि से संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पटना प्रमंडल, पटना के कार्यो के निष्पादन हेतु अगले आदेश तक शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0 / –
(प्रमोद कुमार)
सरकार के उप सचिव

निबंधित / ई–मेल

ज्ञापांकः–05 / स्था0–01–08 / 2021 8610 **/पटना, दिनांक–** 09-10-26

प्रतिलिपि– अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना (द्वारा संयुक्त सचिव, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना) को सी0डी0 सहित सूचनार्थ एवं राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित / महालेखाकार, बिहार, पटना / वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना / प्रमंडलीय आयुक्त, पटना / जिला पदाधिकारी, पटना, भोजपुर, बक्सर, नालंदा, कैमूर एवं रोहतास / उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना / कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पटना / जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना, भोजपुर, बक्सर, नालंदा, कैमूर एवं रोहतास / माननीय मंत्री, परिवहन विभाग के आप्त सचिव / सचिव, परिवहन विभाग के प्रधान आप्त सचिव / राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार के वरीय प्रधान आप्त सचिव / विभाग के सभी पदाधिकारी / श्री बिजय कुमार, बि0प्र0से0, संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पटना / मोटरयान निरीक्षक, पटना, भोजपुर, बक्सर, नालंदा, कैमूर एवं रोहतास / प्रवर्तन अवर निरीक्षक, पटना, भोजपुर, बक्सर, नालंदा, कैमूर एवं रोहतास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09/10/26
सरकार के उप सचिव